

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प)
उत्तर प्रदेश, गोमतीनगर, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2014

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कृषि विविधीकरण परियोजना के वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-रा.कृ.वियो./203/लेखा-9/2014-15, दिनांक 16.6.2014 एवं समन्वय अनुभाग के शासनादेश संख्या-839/सम-73-2014, दिनांक 16.6.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट यू.पी. डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यू.पी. डास्प) को प्रदेश में कृषि विविधीकरण कार्यों हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 के लेखानुदान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार रु०-138425 हजार (रु० तेरह करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रु० में

क. सं.	योजना का नाम	एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	Crop Diversification programme in western UP (Sub Scheme)	22.05.2014	1250000	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0311-कृषि विविधीकरण योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	138425

(रु० तेरह करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार मात्र)

3- उक्त धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होने के उपरान्त द्वितीय किश्त आहरित की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/ सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दि.निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य निम्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12

14
2.00PM

(2)

में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोफाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

- 8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी सी-11, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।
- 9- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/परियोजना समन्वयक, यू पी. डास्प द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- 10- परियोजना समन्वयक, यू पी. डास्प, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।
- 11- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0311-कृषि विविधीकरण योजना के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.3.2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

सं0-1428(1)/12-3-2014-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - 4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - 5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - 6- निदेशक, आर.के.वी.वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - 7- प्रमुख सचिव, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 8- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
 - 9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 10- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 11- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग/यू.पी. डास्प., लखनऊ।
 - 12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
 - 13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
 - 14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।